उत्तरांचल सरकार
वित्त एवं व्यापार कर अनुभाग
संख्या– 69–डी / वि. व्या. कर / 2001
देहरादून, दिनांक: 13सितम्बर, 2001

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000, (अधिनियम 29 आफ 2000) की धारा–87 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) यथा उत्तरांचल में लागू की धारा–21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 15 सन् 1948) यथा उत्तरांचल में लागू की धारा 4–क के अधीन अधिकार का प्रयोग करके और उक्त धारा 4–क के अधीन इस निमित्त जारी पूर्व की समस्त विज्ञप्तियों का आंशिक उपान्तर करके तथा जारी विज्ञप्ति संख्या क0नि0–2–111/ग्यारह–9 (116)/94उ0प्र0अधि0–48–आदेश–2000 दिनांक 15 जनवरी, 2000 को अतिकमित करते हुये राज्यपाल निर्देश देते हैं कि दिनांक 17 जनवरी, 2000 को या उसके पश्चात उत्पादन प्रारम्भ कर रही उत्तरांचल में स्थित इकाईयों को, उन इकाईयों के सिवाय जो उक्त दिनांक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं, माल की बिक्री पर कर से छूट या कर की दर में कमी अनुमन्य नहीं होगी :–

(क) इकाई सन् 1948 के उक्त ऐक्ट के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।

(ख) इकाई ने किसी बैंक या केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्राधीन किसी वित्तीय निगम या कम्पनी के सावधि ऋण के लिए आवेदन किया गया हो या वित्तीय व्यवस्था किसी व्यक्तिगत संस्थान अथवा स्वयं के श्रोतों से कर ली है।

(ग) इकाई 31 मार्च, 2000 तक उत्पादन प्रारम्भ कर देगी और

(घ) इकाई को कारखाना के लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है या उसके द्वारा भूमि की व्यवस्था स्वयं कर ली गई है।

(इन्दु कुमार पान्डे)
वित्त सचिव